न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 366–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–15 पारित द्वारा तहसीलदार, बुरहानपुर प्रकरण कमांक 7/अ–13/2014–15.

सुन्दरलाल पिता मोहनलाल चौधरी
निवासी ग्राम इच्छापुर
तहसील व जिला बुरहानपुर .....आवेदक

विरूद्ध

शांतीलाल पिता मोहनलाल चौधरी
निवासी ग्राम इच्छापुर
तहसील व जिला बुरहानपुर .....अनावेदक

श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, आवेदक
श्री संजय करंजवाला, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम इच्छावर स्थित भूमि सर्वे कमांक 993 रकबा 5–00 हेक्टेयर पूर्व में उभय पक्ष के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेखों में दर्ज होकर उसमें एक कुंआ स्थित था । उक्त

भूमि के संबंध में उभय पक्ष के मध्य पूर्व में दिनांक 16–8–12 को मौखिक बटवारा होकर बटवारानामा निष्पादित हुआ है । उक्त बटवारानामा में कुंए पर आवेदक एवं अनावेदक का समान अधिकार रहने का भी उल्लेख किया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा न तो अनावेदक को मोटर कुंए पर रखने दी जा रही है, और न ही पानी दिया जा रहा है, अतः कुंए के जलस्रोत से रोके गये पानी के रास्ते को खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–13/2014–15 दर्ज कर दिनांक 30–10–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अंतरिम रूप से कुंए पर मोटर पम्प लगाने एवं पानी के आधे भाग का उपयोग करने का आदेश दिया गया, साथ ही आवेदक को 5000/– रूपये बंधपत्र निष्पादित करने के निर्देश भी दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 131 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा कुंए का उपयोग एवं उपभोग करने संबंधी जो आदेश पारित किया गया है, वह अवैधानिक है, क्योंकि संहिता की धारा 131 के अंतर्गत कुंए का उपयोग एवं उपभोग करने संबंधी प्रावधान नहीं है ।

(2) अनावेदक द्वारा अंतरिम राहत चाहे जाने संबंधी जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें उल्लेख नहीं है कि रास्ते में किसके द्वारा बाधा उत्पन्न की गई है, ऐसी स्थिति में कुंए तक पहुंचने के लिए रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है ।

(3) उभय पक्ष का जब बटवारा हो चुका है, और उभय पक्ष अपनी–अपनी भूमि पर काबिज है, तब कुंआ जिसके हिस्से में आयेगा, वही उसका उपयोग एवं उपभोग करेगा, दूसरे को उसका उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकार नहीं है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) उभय पक्ष के मध्य मौखिक विभाजन होकर जो विभाजन पत्र निष्पादित हुआ है, उसमें ही कुंए से सिंचाई हेतु समान रूप से पानी लेने एवं कुंए तक पैदल आने–जाने में आवेदक द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं करने का उललेख है । अतः स्वीकृत तथ्य के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार आवेदक को नहीं है ।

(2) आवेदक द्वारा नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो निरस्त हो गई है, ऐसी स्थिति में कुंए से पानी लेने संबंधी अधिकार अंतिम रूप से निराकृत हो चुका है ।

(3) कुंए से पानी के समान अधिकारों का उल्लेख राजस्व खसरों एवं भू–अधिकार पुस्तिका में है एवं संहिता की धारा 131 के प्रावधानों के अंतर्गत पानी के स्रोतों का विवाद अथवा जल सारणी से पानी लेने के विवाद के निराकरण का अधिकार तहसीलदार को है ।

(4) आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में वाद कमांक 16 ए/2013 प्रस्तुत किया गया था, जो आदेश दिनांक 6–12–2013 से निरस्त हो चुका है, इस कारण भी यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के मध्य आपसी सहमति के आधार पर बटवारा हुआ है, परन्तु कुंए के संबंध में इस तथ्य का कोई बटवारा नहीं हुआ है कि कुंए पर अनावेदक का भी अधिकार होगा । उभय पक्ष को आपस में यह तय करना चाहिए था कि प्रश्नाधीन कुंए का दोनों उपयोग करेंगे । इस प्रकरण में यह महत्वपूर्ण विधिक विचारणीय बिन्दु यह है कि संहिता की धारा 131 के अंतर्गत कुंए के संबंध में निर्णय नहीं किया जा सकता है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–15 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर